तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रिमाण्ड प्रकरण 01/2009 लीलूराम बनाम श्रृंगारी देवी आदि अन्तर्गत धारा 53-88-92 व 188 राज.काश्त.अधि.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
28-8-15	संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी लीलुराम ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 68 आरबी के मु.नं. 35 में 2.733 है0 व 67 आरबी के मु.नं. 6 में 1.392 है0 भूमि जेठाराम के नाम से थी। जिसका देहान्त बाद उनके वारिस वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 है। इस प्रकार प्रत्येक का 1/7 हिस्सा है। वादीगण के 2/7 हिस्सा की डिक्री जारी की जावे। इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई कर दिनांक 17.07.01 को निर्णय कर प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये गये थे। तत्पश्चात तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 21.03.03 को अन्तिम डिक्री जारी की गई थी। उक्त आदेश दिनांक 17.07.01 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 21.03.03 के विरूद्व वादी लीलुराम ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय ———————— दिनांक 17.07.09 द्वारा अपील स्वीकार कर इस न्यायालय के आदेश व डिक्री 17.07.01 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 21.03.03 को निरस्त कर प्रकरण में दी गई विवेचना को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्णय लिये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। प्रकरण न्यायालय में प्राप्त होने पर पुनः नम्बर पर लिया जाकर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया गया। प्रतिवादी सं. 8 द्वारा जवाब दावा काउन्टर कलेम पेश किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.07.09 में विवेचना की कि अधीनस्थ न्यायालय ने चक 68 आरबी के मु.नं. 35 में 2.733 है0 एवं चक 67 आरबी के मु.नं. 6 के 1.392 है0 भूमि में वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, व 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार विभाजन स्वीकार किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी 1 ता 5 के नाम से दर्ज है। मु.नं. 35 की भूमि की दस्तबरदारी किये जाने का नामान्तरकरण में दर्ज है। किन्तु 67 आरबी के मु.नं. 6 में वर्णित भूमि श्रृंगारी, लीलुराम, नत्थुराम, विरभान, शान्ति, चावली व पार्वती के नाम से गैर खातेदारी दर्ज है। किन्तु प्रतिवादी सं. 4 के संबन्ध में कोई विभाजन स्वीकार नही किया गया है न ही पत्रावली पर ऐसा साक्ष्य उपलब्ध है। जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रतिवादी सं. 4 ने अपना हक किसी अन्य के पक्ष में जरिये दस्तबरदारी तर्क किया गया। चावली को उसके हिस्से से वंचित रखने का कोई कारण भी अपीलकृत आदेश में अंकित नही किया है। ऐसी स्थिति में ये बिन्दु जांच के है। जो दोनो पक्षो को सुनकर की जानी है। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा वाद पत्र एवं अपील में की गई विवेचना को दोहराते हुए दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया। वकील प्रतिवादीगण ने बहस में निवेदन किया कि वादी लीलुराम का हिस्सा चक 68 आरबी के मु.नं. 35 में है। शेष रकबा प्रतिवादी सं. 8 को	(सन्दीप कुमार) उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) रा... हिसार

बेचान किया जा चुका है एवं उनके कब्जा काश्त में है। चक 67 आरबी के मु.नं. 6 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 का हिस्सा है। अतः रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार खातेदारी घोषित किया जावे।

वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी चक 67 आरबी के मु.नं. 6 पं.नं. 199/261 में 1.392 है0 नहरी भूमि मुस्मात श्रृंगारी बेवा जेठाराम, लीलुराम, नत्थुराम, विरभान पि0 जेठाराम व शान्ति,चावली, पार्वती पुत्रियान जेठाराम को कोम मेघवाल के नाम खातेदारी दर्ज है एवं चक 68 आरबी के मु. नं 35 के पं.नं 203/268 में 2.733 है0 बारानी भूमि मुस्मात श्रृंगारी बेवा जेठाराम 3/7 हिस्सा, लीलुराम, नत्थुराम, विरभान पि0 जेठाराम ब.हि.ब. 3/7 हिस्सा व सरबती पुत्री जेठाराम 1/7 हिस्सा खातेदार दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर चक 68 आरबी के मु.नं. 35 में कि. नं. 19 के .137 है0, 20 में .253, कुल .390 है0 भूमि पर लीलुराम पुत्र जेठाराम काबिज है एवं श्रृंगारी बेवा जेठाराम 3/7 हिस्सा, नत्थुराम, विरभान पि0 जेठाराम ब.हि.ब. 2/7 हिस्सा व सरबती पुत्री जेठाराम 1/7 हिस्सा कुल 6/7 हिस्सा की 1.562 है0 भूमि प्रतिवादी सं. 8 बृजलाल, भजनलाल पि0 पुरखाराम ने जरिये बैयनामा दिनांक 22.05. 97 से खरीद किया है तथा उनका ही कब्जा है। .78 है0 भूमि श्रवणराम पुत्र पुरखाराम ने जरिये बैयनामा दिनांक 30.05.97 खरीद किया है एवं इन्हीं का मौके पर कब्जा काश्त है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि वादी लीलुराम को चक 67 आरबी के मु.नं. 6 की 1.392 है0 एवं चक 68 आरबी के मु.नं. 35 की 2.733 है0 में से 1/7 हिस्सा तथा वादी शान्ति पुत्री जेठाराम को चक 67 आरबी के मु.नं. 6की 1.392 है0 भूमि में से 1/7 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 5 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा व चक 68 आरबी के मु.नं. 35 के 2.733 है0 भूमि में प्रतिवादी सं. 4 चावली व वादी सं. 2 शान्ति ने अपना हिस्सा की दस्तबरदारी से अपनी माता श्रृंगारी के पक्ष में तर्क कर दिया। प्रतिवादी सं. 1 श्रृंगारी ने 3/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 नत्थुराम ने 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 विरभान का 1/7 एवं प्रतिवादी सं. 5 सरबती ने 1/7 हिस्सा की भूमि इस प्रकार कुल 6/7 हिस्सा की भूमि का जरिये बैयनामा दिनांक 22.05.97 व 30.05.97 प्रतिवादी सं. 8 श्रवण कुमार, बृजलाल, भजनलाल पि0 पुरखाराम को बेचान किया है। उक्तानुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। अतः इसी अनुसार रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित भूमि में दर्ज हिस्सानुसार काश्तकारान की मौजूदगी में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का विभाजन प्रस्ताव मय मौका नक्शा तहसीलदार रायसिंहनगर से मंगवाया जावे। इसी आश्य की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैंसले में शुमार हो तहसीलदार रायसिंहनगर से विभाजन प्रस्ताव इन्तजार में पत्रावली दिनांक 16.10.19 को पेश हो।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner